रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2019/कार्तिक 02, 1941
No. 631] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 02, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 806(अ).—केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्ररुप भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 442(अ), तारीख 21 जून, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से जो इससे प्रभावित हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 21 जून, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्ररुप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, प्ररुप 23क में, क्रम सं. 2(घ) में, सारणी में, मद सं. (ख) में, "पिछली तरफ" शीर्ष के अधीन,—

(क) क्रम सं. 9 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्लिखित रखा जयेगा, अर्थात्:

"9.	धुरे की संख्या/धुरा पंक्तियों की संख्या (मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों की दशा में)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पी टी"

(ख) क्रम सं. 18 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्लिखित रखा जयेगा, अर्थात्:

"18.	लदान के साथ भार/मॉड्यूलर भार (मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों की दशा में)	मिरियाड प्रो रेगुलर	5.5 पी टी"

[फा. सं. आरटी-11036/28/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 681(अ) तारीख 23.09.2019. द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

G.S.R. 806(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 442(E), dated the 21st June, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 21st June, 2019;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: **—**

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in FORM 23A, in serial number 2(d), in the table under item number (b), under the heading 'Reverse side',—

(a) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"9.	Number of Axle/Number of axle rows (in case of modular hydraulic trailers)	Myriad Pro Regular	5.5pt";

(b) for serial number 18 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"18.	Laden weight/ Module Weight (kg) (in case of modular hydraulic trailers)	Myriad Pro Regular	5.5pt".

[F. No. RT-11036/28/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 681(E), dated the 23.09.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.25 22:20:40 +05'30'